Mitch an Isual The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 670] No. 670] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2009/अग्रहायण 2, 1931 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2009/AGRAHAYANA 2, 1931

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(ई एम खण्ड)
भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केन्द्रीय कार्यालय)
अधिसुचना

मुम्बई, 22 सितम्बर, 2009 सं. फेमा 197/2009-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 836(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (घ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(क) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2009 कहा जाए।
 - (ख) ये 30 जून, 2009 से लागू होंगे।
- 2. विनियमों में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 की अनुसूची-। के पैराग्राफ (1) के उप-पैराग्राफ (i) के :—
 - (1) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"बशर्त कि उन्होंने कभी भी इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन न किया हो और अधिनियम के तहत बनाए गए इन विनियमों के उल्लंघन किए जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई जांच न चल रही हो।"

- (II) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— "बशर्ते कि उन्होंने कभी भी इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन न किया हो और अधिनियम के तहत बनाए गए इन विनियमों के उल्लंघन किए जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई जांच न चल रही हो ।"
- (III) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— "बशर्ते कि उन्होंने कभी भी इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन न किया हो और अधिनियम के तहत बनाए गए इन विनियमों के उल्लंघन किए जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई जांच न चल रही हो।" [फा.सं. 1/23/ईएम/2000-वाल्यूम.आई.बी.]

सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली 5 मई, 2000 की सा.का.नि. 386(अ) द्वारा भारत के राजपत्र के भाग IÌ, खंड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित हुई है और निम्नलिखित के द्वारा अनुवर्ती संशोधन किए गए:—

- (i) सा.का.नि. 674(अ), 25 अगस्त, 2000
- (ii) सा.का.नि. 476(अ), 8 जुलाई, 2002
- (iii) सा.का.नि. 854(अ), 31 दिसम्बर, 2002
- (iv) सा.का.नि. 531(अ), 9 जुलाई, 2003
- (v) सा.का.नि. 533(अ), 9 जुलाई, 2003
- (vi) सा.का.नि. 208(अ), 23 मार्च, 2004

4239 GI/2009

- (vii) सा.का.नि. 825(अ), 22 दिसम्बर, 2004
- (viii) सा.का.नि. 60(अ), 9 फरवरी, 2005
- (ix) सा.का.नि. 739(अ), 22 दिसम्बर, 2005
- (x) सा.का.नि. 663(अ), 16 अक्तूबर, 2007
- (xi) सा.का.नि. 61(अ), 30 जनवरी, 2009
- (xii) सा.का.नि. 547(अ), 27 जुलाई, 2009

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(E M Section)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd September, 2009

No. FEMA 197/2009-RB

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Third Amendment) Regulations, 2009

G.S.R. 836(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6, and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA3/2000-RB dated May 3, 2000), namely:

- 1. Short title and commencement.— (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Third Amendment) Regulations, 2009.
- (b) They shall come into force from the June 30, 2009.
- 2. Amendment of the Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notifiction No. FEMA 3/2000-RB dated May 3, 2000), in Schedule I, in paragraph (1), in subparagraph (i):—
 - (I) after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided that they have not at any time violated any of the provisions of these regulations and no investigation is pending against them for contravention of the provisions of these regulations under the Act."

- (II) after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided that they have not at any time violated any of the provisions of these regulations and no investigation is pending against them for contravention of the provisions of these regulations under the Act."
- (III) after clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that they have not at any time violated any of the provisions of these regulations and no investigation is pending against them for contravention of the provisions of these regulations under the Act."

[F. No. -1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-charge

Foot Note:—The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 386 (E) dated May 5, 2000 in Part 11, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide:—

- (i) No. G.S.R. 674(E) dated August 25, 2000
- (ii) No. G.S.R. 476(E) dated July 8, 2002
- (iii) No. G.S.R. 854(E) dated December 31, 2002
- (iv) No. G.S.R. 531 (E) dated July 9, 2003
- (v) No. G.S.R. 533(E) dated July 9, 2003
- (vi) No. G.S.R. 208(E) dated March 23, 2004
- (vii) No. G.S.R. 825(E) dated December 22, 2004
- (viii) No. G.S.R. 60 (E) dated February 9, 2005
- (ix) No. G.S.R. 739(E) dated December 22, 2005
- (x) No. G.S.R. 663(E) dated October 16, 2007
- (xi) No. G.S.R. 61 (E) dated January 30, 2009
- (xii) No. G.S.R. 547(E) dated July 27, 2009

अधिसचना

मुम्बई, 24 सितम्बर, 2009

[सं. फेमा. 198/2009-आरबी]

विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसम्पत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 837(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली 2000, (दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 13/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम, ''विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण)(संशोधन) विनियम, 2009'' कहलाएंगे।
 - (ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
- 2. विनियमावली में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 13/2000-आरबी) के विनियम 6 के उप-विनियम (1) के परंतुक के

खंड (ग) तथा (घ) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

- ''(ग) विप्रेषण के लिए कर प्राधिकरण से आपित नहीं अथवा कर बेबाकी प्रमाण-पत्र;
- (घ) आवेदक से इस आशय की पुष्टि कि उसके विरुद्ध भारत में किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और विप्रेषण में कोई कानूनी अड्चन नहीं है; तथा
- (ङ) निबंधक, कंपनी से इस आशय की पुष्टि कि आवेदक ने भारत में कारोबार के समापन पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 597 की उप-धारा (3) के प्रावधानों का अनुपालन किया है।"

[फा.सं. 1/23/ईएम/2000-वाल्यूम-आईबी] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियम, भारत के राजपत्र में दिनांक 3 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 396(अ) के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित हुए हैं और तत्पश्चातृ निम्नवत् संशोधित किए गए हैं :

- (क) सं. सा.का.नि. 576(अ), 19 अगस्त, 2002;
- (ख) सं. सा.का.नि. 630(अ), 4 अगस्त, 2002;
- (ग) सं. सा.का.नि. 99(अ), 1 सितम्बर, 2003;
- (घ) सं. सा.का.नि. 493(अ), 4 अगस्त, 2004;
- (ङ) सं. सा.का.नि. 400(अ), 30 मई, 2007; और
- (च) सं. सा.का.नि. 90(अ), 15 फरवरी, 2008 ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th September, 2009

No. FEMA 198/2009-RB

Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2009

G.S.R. 837(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.13/2000-RB dated May 3, 2000), namely:—

- 1. Short Title and Commencement—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2009.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of Regulation 6. In the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.13/2000-RB, dated May 3, 2000), in regulation 6 in sub-regulation (1) in clause (iii), in the Proviso, for clauses "C" and "D", the following shall be substituted, namely :—
 - "(C) no-objection or tax clearance certificate from income-tax authority for the remittance;

- (D) confirmation from the applicant that no legal proceedings in any Court in India are pending and there is no legal impediment to the remittance; and
- (E) a report from the Registrar of Companies regarding compliance with the provisions of the Companies Act, 1956, in case of winding up of the office in India."

[F. No. 1/23/EM/2000- Vol.-IV]

SALIM GANG ADHARAN, Chief General Manager-in-charge

Foot Note:—The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 396 (E), dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Subsection (i) and subsequently amended vide:

- (a) G.S.R. 576 (E) dated August 19, 2002;
- (b) G.S.R. 630 (E) dated August 4, 2003;
- (c) G.S.R. 699 (E) dated September 1, 2003;
- (d) G.S.R. 493 (E) dated August 4, 2004;
- (e) G.S.R. 400 (E) dated May 30, 2007; and
- (f) G.S.R. 90 (E) dated February 15, 2008.

अधिसूचना

मुम्बई, 30 सितम्बर, 2009

[सं. फेमा, 199/2009-आखी]

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2009

सा.का.नि 838(अ).— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खण्ड (ख) और 47 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(क) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे।
- (ख) ये विनियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. विनियमों में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी) में, विनियम 7 में, उप-विनियम (8) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8)(i) किसी विदेशी कंपनी का कर्मचारी होने के कारण, किसी विदेशी राज्य का भारत में निवासी कोई नागरिक अथवा किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत से बाहर नियुक्त भारत का कोई नागरिक और दोनों ही मामलों में इस प्रकार की विदेशी कंपनी के भारत में कार्यालय/शाखा/सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारित कर सकता है और खाते का रखरखाव कर सकता है और इस प्रकार की विदेशी कंपनी के भारत में कार्यालय/शाखा/सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम में की गई सेवाओं के लिए उसे देय समग्र वेतन ऐसे खाते में जमा करते हुए प्राप्त कर सकता है, बशर्ते भारत में अर्जित किए गए अनुसार समग्र वेतन पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रभार्य आयकर अदा किया जाता है।

(ii) भारत में निगमित किसी कंपनी में नियुक्त होने के कारण भारत में निवासी विदेशी राज्य का कोई नागरिक भारत से बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारित कर सकता है और खाते का रखरखाव कर सकता है और इस प्रकार की किसी भारतीय कंपनी में की गई सेवाओं के लिए भारत में भारतीय रुपयों में प्राप्त समग्र वेतन इस खाते में प्रेषित कर सकता है, बशर्ते भारत में अर्जित किए गए अनुसार समग्र वेतन पर आय कर अधिनियम, 1961 के तहत प्रभार्य आयकर अदा किया जाता है।"

> [फा.सं.-1/23/ईएम/2000-वाल्यूम-आई] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 5 मई, 2000 को सं. सा.का.नि. 393(अ) के जरिए भारत के राजपत्र में भाग II के खंड 3 के उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :

- (क) सं. सा.का.नि. 675(अ), दिनांक 25 अगस्त, 2000
- (ख) सं. सा.का.नि. 89(अ), दिनांक 12 फरवरी, 2001
- (ग) सं. सा.का.नि. 103(अ), दिनांक 19 फरवरी, 2001
- (घ) सं. सा.का.नि. 200(अ), दिनांक 21 मार्च, 2001
- (ङ) सं. सा.का.नि. 5(अ), दिनांक 2 जनवरी, 2002
- (च) सं. सा.का.नि. 261(अ), दिनांक 9 अप्रैल, 2002
- (छ) सं. सा.का.नि. 465(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2002
- (ज) सं. सा.का.नि. 474(अ), दिनांक 8 जुलाई, 2002
- (झ) सं. सा.का.नि. 755(अ), दिनांक 8 नवम्बर, 2002
- (ञ) सं. सा.का.नि. 756(अ), दिनांक 8 नवम्बर, 2002
- (ट) सं. सा.का.नि. 224(अ), दिनांक 18 मार्च, 2003
- (ठ) सं. सा.का.नि. 398(अ), दिनांक 14 मई, 2003
- (ड) सं. सा.का.नि. 452(अ), दिनांक 3 जून, 2003
- (ढ) सं. सा.का.नि. 453(अ), दिनांक 4 जून, 2003

- (ण) सं. सा.का.नि. 11(अ), दिनांक 7 जनवरी, 2004
- (त) सं. सा.का.नि. 13(अ), दिनांक 7 जनवरी, 2004
- (थ) सं. सा.का.नि. 209(अ), दिनांक 23 मार्च, 2004
- (द) सं. सा.का.नि. 455(अ), दिनांक 30 जुन, 2007
- (ध) सं. सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 19 दिसम्बर, 2007
- (न) सं. सा.का.नि. 92(अ), दिनांक 15 फरवरी, 2008

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th September, 2009

[No. FEMA 199/2009-RB]

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Second Amendment) Regulations, 2009

- G.S.R. 838(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA. 10/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—
- 1. Short title and commencement .—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Second Amendment) Regulations, 2009.
- (ii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment to the Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA. 10/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Regulation 7, for sub-regulation (8) the following shall be substituted, namely:—
 - "(8) (i) A citizen of a foreign State, resident in India, being an employee of a foreign company or a citizen of India, employed by a foreign company outside India and in either case on deputation to the office/branch/subsidiary/joint venture in India of such foreign company may open, hold and maintain a foreign currency account with a bank outside India and receive the whole salary payable to him for the services rendered to the office/branch/subsidiary/joint venture in India of such foreign company, by credit to such account, provided that income-tax chargeable under the Income-tax Act, 1961 is paid on the entire salary as accrued in India.
 - (ii) A citizen of a foreign State resident in India being in employment with a company incorporated in India may open, hold and maintain a foreign currency account with a bank outside India and remit the whole salary received in

India in Indian Rupees, to such account, for the services rendered to such an Indian company, provided that income-tax chargeable under the Income-tax Act, 1961 is paid on the entire salary accrued in India."

[F.No. I/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note: —The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 393(E), dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide

- (a) No. G.S.R. 675(E) dated August 25, 2000,
- (b) No. G.S.R. 89(E) dated February 12, 2001,
- (c) No. G.S.R. 103(E) dated February 19, 2001,
- (d) No. G.S.R. 200(E) dated March 21, 2001,
- (e) No. G.S.R. 5(E) dated January 2, 2002,

- (f) No. G.S.R. 261(E) dated April 9, 2002,
- (g) No. G.S.R. 465(E) dated July 2, 2002,
- (h) No. G.S.R. 474(E) dated July 8, 2002,
- (i) No. G.S.R. 755(E) dated November 8, 2002,
- (j) No. G.S.R. 756(E) dated November-8, 2002,
- (k) No. G.S.R. 224(E) dated March 18, 2003,
- (I) No. G.S.R. 398(E) dated May 14, 2003,
- (m) No. G.S.R. 452(E) dated June 3, 2003,
- (n) No. G.S.R. 453(E) dated June 4, 2003,
- (o) No. G.S.R. 11(E) dated January 7, 2004,
- (p) No. G.S.R. 13(E) dated January 7, 2004,
- (q) No. G.S.R. 209(E) dated March 23, 2004,
- (r) No. G.S.R. 455(E) dated June 30, 2007,
- (s) No. G.S.R. 778(E) dated December 19, 2007.
- (t) No. G.S.R. 92(E) dated February 15, 2008.